3263. *{Transferred to the 17th Decem ber,* 1991]

Implementation of the one family one post proposal

3264. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to implement "one family one-post" in Government services;

(b) if so, the details thereof; and

.(c) if not, the reasons therfor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL. PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Restricting employment in Government services to only one member in a family would neither be desirable nor legally and constitutionally sustainable.

संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले

3265. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार के कितने मामले आये थे;

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले में किस-किस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप थे और दोषी व्यक्तियों को क्या-क्या सजा दी गई थी; और

(ग) ऐसे भ्रष्टाचार से प्रभावित व्यक्तियों को क्या-क्या रियायतें दी गई थी ?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में गत 5 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के केवल दो ही मामले सरकार की जानकारी में आए हैं। कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित केवल एक मामला था।

संघ लोक सेवा आयोग :

(i) 1988 में फरीदाबाद के एक निवासी ने संघ लोक सेवा आयोग के पांच कर्मचारियों के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए शिकायत की थी कि वे न्यू फ्रेन्डस हाउस बिल्डिंग सोसाइटी फरीदाबाद के प्रबन्ध में शामिल थे और उन्होंने उक्त सोसाइटी के नाम से जनता से एकत्र की गई धन राशि का दुरुपयोग किया था। यह भी आरोप लागया गया था कि उनके पास अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में परिसम्पत्तियां थी। इन आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए इस मामलों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया गया है जो मामले की जांच कर रहा है। इसी बीच, इन में से तीनो कर्मचारियों को उनके विरुद्ध सिद्ध हुए कदाचार के कतिपय अन्य कृत्यों में उनके लिप्त होने के कारण आयोग की सेवा से निकाल दिया गया है।

(ii) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में परिसम्पत्तियां रखने के लिए एक डेस्क अधिकारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है तथा वह इस मामले की जांच कर रहा है।

कर्मचारी चयन आयोग

वर्ष 1990 के दौरान आयोग में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें यह आरोप लगाया था कि आयकर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि, निरीक्षक परीक्षा 1988 के आधार पर चुने गए कुछ उम्मीदवारों ने आयोग में कार्यरत कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से अनुचित साधनों का प्रयोग किया था। इस मामले की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेशष ब्यूरो को भेज दिया गया है।

उपर्युक्त तीनों मामलों के संबंध में, केन्द्रीय अन्वेशषण ब्यूरो की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने तक किसी भी कर्मचारी (उनके अतिरिक्त जिन्हें कदाचार के सिद्ध हुए कतिपय अन्य आरोपों के आधार पर सेव से पहले ही हटा दिया गया है) के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।